25 लोकसभा सीटों पर 3.28 लाख मतदानकर्मी व 1.59 लाख सुरक्षाकर्मियों ने संपन्न कराया चुनाव

निर्वाचन विभाग ने 27140 मतदान केन्द्रों की लाइव वेबकास्टिंग से रखी प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के चुनाव पर निगरानी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 266 प्रत्याशियों का राजनैतिक भविष्य अब मतपेटियों में बंद है। चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना पर सामने आएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 25 सीटों पर 3.28 लाख मतदानकर्मी व 1.59 लाख सुरक्षाकर्मियों ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया है।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेशभर में 53128 मतदान केन्द्रों पर वोट डाले गए। इसमें से 27 हजार 140 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग करवाई गई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में 14 हजार 460 बूथों की मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की गई। रिटर्निंग अधिकारी, जिला एवं राज्य स्तर पर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की गई। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गईं। साथ ही, मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर वॉलन्टियर्स भी तैनात किए गए। प्रदेशभर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 30 हजार 591 पोलिंग बूथ लोकेशन पर 31 हजार 242 व्हीलचेयर उपलब्ध रही और एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के एक लाख से अधिक वॉलन्टियर तैनात रहे।

अजमेर लोकसभा क्षेत्र के दूदू स्थित ग्रामीण मतदान केन्द्रों पर वोट डालने पहुंचे लोगों की जल समस्या भी सामने आयी। यहां सरकारी स्कूल में वोट डालने पहुंचे ग्रामीण पानी के मटके लेकर पहुंचे। इनके चेहरे पर जितना उत्साह वोट डालने को लेकर था, उससे ज्यादा पेयजल समस्या को लेकर चिंता भी थी।
फोटो-राष्ट्रदूत

गुप्ता ने बताया कि 85 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धजन और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए आयोग की ओर से होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। प्रदेश में रिकॉर्ड 98.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 73 हजार 799 वोटर्स द्वारा मतदान किया जा चुका है। इनमें 56 हजार 691 बुजुर्ग तथा 17 हजार 108 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में 1062 मतदाताओं की मृत्यु होने तथा 1207 मतदाताओं के अनुपस्थित होने की वजह से मतदान नहीं कर सके। होम वोटिंग के तहत प्रथम चरण 98.30 प्रतिशत और द्वितीय चरण में 97.42 प्रतिशत मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फेसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 2 लाख 24 हजार 789 मत डाले गए। पोस्टल बैलेट और ईडीसी की सुविधा का चयन करने वाले कुल कार्मिकों में से 94 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।

भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर लोकतंत्र के उत्सव में युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दोनों चरणों के मतदान के दौरान कुल 3400 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4-4 बूथ महिलाओं और युवाओं तथा एक बूथ दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित किया गया। इस प्रकार 1600-1600 बूथ महिलाओं और युवाओं द्वारा तथा 200 मतदान केंद्र दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित किए गए।

- प्रदेश के 266 लोकसभा प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में बंद, सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 4 जून को होगी
- होम वोटिंग के तहत राजस्थान में रिकॉर्ड 98.39 प्रतिशत मतदान हुआ, 2.24 लाख कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले
- सभी आयु वर्ग के मतदाताओं में दिखा सेल्फी का क्रेज, निर्वाचन विभाग ने 32 हजार 604 सर्टिफिकेट जारी किए
- एक मार्च से अब तक राजस्थान में रिकॉर्ड 919 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स व अन्य अवैध सामग्रियां जब्त की

गुप्ता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूथ बनाए गए। युवाओं और महिलाओं सहित सभी आयुवर्ग के मतदाताओं में सेल्फी का क्रेज रहा। दोनों चरणों में 32,604 मतदाताओं ने मतदान करने के बाद सेल्फी ली और सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके साथ ही युवा मतदाताओं ने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड की। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं सहित अन्य मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

गुप्ता ने बताया कि चुनाव में धन-बल का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रदेशभर में 1 मार्च से अब तक 919.02 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई है। लोकसभा आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से अब तक 820.89 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 6,400 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से सही पाई गई सभी 3,504 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधु के नेतृत्व में बेहतर कार्य योजना, तकनीकी नवाचारों और गहन मॉनिटरिंग के फलस्वरूप मतदान निर्बाध और सुचारू ढंग से सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और समावेशी चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए पडौसी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ व्यापक और नियमित रूप से स्थिति एवं चुनाव सम्बंधी तैयारियों की समीक्षा की थी।

भाजपा हरियाणा प्रदेश लोकसभा प्रभारी एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल पहुंचकर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की कुशलक्षेम जानी और भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सुप्रीम कोर्ट से ट्रेनी एस.आई. सहित 12 आरोपियों को नहीं मिली राहत

- अदालत ने आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह तय तारीख पर एक मई को मामले की सुनवाई करे। एसएलपी में आरोपियों ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों को रिहा करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

आरोपियों की ओर से एसएलपी में कहा गया कि कहा कि एसओजी ने हाईकोर्ट से तथ्य छिपाए हैं। आरोपियों के रिलीज आर्डर बन गए थे और हाईकोर्ट ने गलत तरीके से उनकी रिहाई पर रोक लगाई है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा, इसलिए हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जवाब में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ आए हैं, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वहां पर सुनवाई होनी है। वहीं सीएमएम कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया है जो गलत है। सीएमएम कोर्ट ने ही पहले आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा था। यदि वे अवैध हिरासत में थे तो उसी समय उनकी रिहाई करनी चाहिए थी। यदि एक बार रिमांड दिया है तो फिर आरोपियों को जमानत अर्जी पर ही रिहा किया जा सकता है। इसलिए आरोपियों की एसएलपी खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर हाईकोर्ट को एसओजी की याचिका में सुनवाई पूरी कर फैसला देने के लिए कहा।

तीन दिन की तेज गर्मी के बाद शुक्रवार शाम को राजधानी जयपुर में अचानक तेज आंधी आई। इसके बाद हुई हल्की बरसात से गर्मी में कुछ राहत मिली।

राजस्व विभाग लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निस्तारण : सुधांश पंत

- 'ईज ऑफ लिविंग में योगदान कर आम नागरिक के जीवन को बनाएं आसान'

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्व विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग होने के साथ ही आम नागरिक से सीधा जुड़ाव रखता है। उन्होंने कहा कि आमजन की राजस्व विभाग से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को ईज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि गाँवों में शहरों की अपेक्षा राजस्व सम्बन्धी मामलों की अधिकता रहती है। ऐसे में हमें इस दिशा में बेहतर कार्य कर आम नागरिक को राहत दिलाने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए।

मुख्य सचिव ने यह बात शासन सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान कही।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों की समय-समय पर सघन मॉनिटरिंग की जाये और इनकी प्रगति में आ रही समस्याओं का विश्लेषण कर उनका निस्तारण किया जाये।

पंत ने विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती और विभिन्न प्रोजेक्ट्स एवं योजनाओं की प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं की सभी स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग करें और लंबित प्रकरणों पर प्रमुखता से कार्य कर उनके निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने विभाग में नवाचारों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया।

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे।

गौरव सिंह, विनोद व गिरिराज प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार

मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एन.ओ.सी. का मामला

जयपुर। अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओजी जारी करने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से गिरफ्तार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस हॉस्पिटल के कॉ-ऑर्डिनेटर विनोद व गिरिराज को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन आरोपियों से अंग तस्करी और प्रत्यारोपण को लेकर पूछताछ करेगी।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गांधी नगर गोपाल सिंह ढाका ने बताया कि शुक्रवार को एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस हॉस्पिटल के को-ऑर्डिनेटर विनोद व गिरिराज को जयपुर पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है।

गुरुग्राम से लाए गए अंग डोनर और रिसीवर से पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस जानकारी की तस्दीक की जा रही है। आगामी समय में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए आरोपियों से पूछताछ के बाद कई डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि जयपुर पुलि ने गुरूग्राम से प्रोडेक्शन वारंट पर चार आरोपी नुरुल इस्लाम, मेहंदी हसन, मोहम्मद अहसानुल और मोहम्मद आज़ाद हुसैन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनसे मामले में लिप्त निजी अस्पतालों, डॉक्टर्स और दलालों के बारे पूछताछ की थी।

सभी 25 सीटें जीतेगी भाजपा : भजनलाल शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 13 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न होने पर आमजन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज का मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अद्भुत और मजबूत नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों के दृढ़ विश्वास को दिखा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 25 लोकसभा सीटें पर जीत की हैट्रिक का इतिहास बनाएगी।

राज्यपाल कलराज मिश्र को शुक्रवार को राजभवन में सड़क सुरक्षा जागरूकता के आलोक में तैयार ट्रैफिक टेल्स ग्राफिक नोवल भेंट किया गया। मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी द्वारा प्रकाशित इस अंग्रेजी नोवल में सड़क पर वाहन चलाने से संबंधित सावधानियां, दुर्घटना से बचाव और सड़क सुरक्षा से संबंधित सावधानियों को चितकथा-रूप में संयोजित किया गया है। राज्यपाल मिश्र ने इस प्रयास की सराहना की है।

'पॉलिसी का शीघ्र कराएं नवीनीकरण'

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जिन परिवारों की पॉलिसी वैद्यता अवधि 30 अप्रैल समाप्त हो रही है, वे परिवार शीघ्र पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। पॉलिसी नवीनीकरण होने पर ही उन्हें 1 मई, 2024 से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।

नाम परिवर्तन

मैं सुमन देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार गरवाल आर्मी नं. 15700976-H, रेंक हवलदार, निवासी-27/30 जादूनाथ विहार, जयपुर ने अपना नाम सुमन देवी से बदलकर सुमन कुमारी रख लिया है भविष्य में मुझे सुमन कुमारी के नाम से जाना जाए।

मैं पवन विजय पुत्र बद्री प्रसाद विजय मैं अपना नाम बदलकर पवन कुमार विजय पुत्र बद्री प्रसाद विजय रख लिया है भविष्य में मुझे पवन कुमार विजय के नाम से जाना जावें। पता-19 रामनगर कॉलोनी, आरा मशीन के पीछे, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर-9950350124

मैंने अपना नाम नवनीत के शर्मा से बदलकर नवनीत शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नवनीत शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा के नाम से जाना पहाना जावें। निवासी 4098 यादव भवन, गणगौरी बाजार, लंगर के बालाजी का रास्ता, जयपुर, राज.-302001

मैं दीपिका चतुर पत्नी अखिलेश सक्सेना घोषणा करती हूँ कि मैंने कभी भी अपना उपनाम बदलकर सक्सेना नहीं रखा है और शादी के बाद भी मैं अपना पहला उपनाम दीपिका चतुर का ही उपयोग कर रही हूँ।

मेरा नाम आधार कार्ड में अशोक कुमार मिश्रा पुत्र रामअवतार मिश्रा व अन्य दस्तावेजों में अशोक शर्मा पुत्र रामअवतार मिश्रा है। उक्त दोनों नाम मुझसे ही संबंधित हैं। अशोक कुमार मिश्रा उर्फ अशोक शर्मा निवासी 153 वार्ड 12, राजपथ, सांभरलेक, जिला जयपुर ग्रामीण।

I have Changed my Name from Manoj Kumar to Mannoj Pahariya for all future puroses. Mannoj Pahariya S/o Bhagwan Das Pahariya R/o S-11 shreedhar city manchwa kalwar road Jaipur.

I have Changed my name from parul to Parull pahariya for all future purposes. Parull Pahariya W/o Mannoj pahariya R/o S-11 shreedhar city manchwa kalwar road Jaipur.

My name in Aadhaar card is Ashok Kumar Mishra son of Ramavatar Mishra and in other documents Ashok Sharma son of Ramavatar Mishra. Both the above names are related to me only. Ashok Kumar Mishra alias Ashok Sharma, resident of 153, Ward 12, Rajpath, Sambharlake, District Jaipur Rural.

I army no 14455120H Ex hony nb sub lakhan singh S/O Vishal Singh R/O village rampura post fatehpur teh.masalpur dist karauli Raj. Have changed my wife name From MUNI DEVI is wrong entered in service record as To MUNNI DEVI vide affidavit dated 22 apr 2024 before district notary alwar

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक-एफ.55() वि.जोन/न.नि.ज.(ह)/2024/96 दिनांक: 24.04.2024
सार्वजनिक सूचना: भूखण्ड संख्या। 4 बी, सत्यनगर, झोटवाड़ा (खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरिनारायण के पक्ष में क्षेत्रफल 119.62 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी ने मुख्त्यारनामा के आधार पर श्रीमती मीना देवी को नियुक्त किया। श्रीमती मीना देवी से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री रामकिशोर व श्री रामकिशोर पुत्र श्री छोटूराम ने भूखण्ड सं. 14 बी, सत्यनगर, झोटवाड़ा (खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। **उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर**

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5वी व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805 Email: rsehfjaipur@yahoo.com
क्रमांक-37/24 दिनांक- 26.04.2024
आम सूचना संघ की आवासीय योजना केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर का फ्लैट संख्या 5/95 श्री अयाज मोहम्मद खान को आवंटित किया गया था, जिसका नियमितीकरण दिनांक 17.12.2002 को श्री इकबाल अगवानी के नाम कर उनके नाम दिनांक 21.12.2002 को रजिस्ट्री करवा दी गई थी। उक्त फ्लैट श्री इकबाल अगवानी से श्री राजेश शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 17.06.2003 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम ट्रांसफर कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त फ्लैट पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त फ्लैट संख्या 5/95 श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा।
(ज्योति गुप्ता) प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी, आवासन संघ लि., जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5वी व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805 Email: rsehfjaipur@yahoo.com
क्रमांक-36/24 दिनांक- 26.04.2024
आम सूचना संघ की आवासीय योजना केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर का फ्लैट संख्या 5/113 श्री वीर सिंह को आवंटित कर संघ द्वारा दिनांक 15.11.1996 को रजिस्ट्री करवा दी गई। तत्पश्चात श्री वीर सिंह से श्रीमती बीना वर्मा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त फ्लैट को क्रय कर दिनांक 04.12.1996 को रजिस्ट्री करवाई गई। उक्त फ्लैट संख्या 5/113 को श्रीमती बीना वर्मा से श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 08.05.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम ट्रांसफर कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त फ्लैट पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त फ्लैट संख्या 5/113 श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा।
(ज्योति गुप्ता) प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी, आवासन संघ लि., जयपुर

आम सूचना मेरे अभिभाष्य अनिल वाघवा पुत्र स्व. आत्माराम वाघवा निवासी एल-17-ए/5 डी.एल.एफ. फैज-2 गुड़गाँव (हरियाणा) के पुत्र निखिल वाघवा पुत्र श्री अनिल वाघवा को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है यदि कोई व्यक्ति या संस्था इनसे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करती है तो उसका मेरे अभिभाष्य की चल व अल सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होगा एवं निखिल वाघवा से सम्व्यवहार करने वाला व्यक्ति तथा संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे। सूचित रहे।
जयपुर (गजेन्द्र सिंह) एडवोकेट
दिनांक- 27.04.2024 मो.नं. 09413111288

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर एस-137 का पूर्वी हिस्सा, शान्ति नगर, खातीपुरा रोड, अपोजिट एन.बी.सी. जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 51.09 वर्गमीटर सम्पूर्ण को श्रम विभाग द्वारा सर्वप्रथम श्री जालिम सिंह पुत्र श्री चैन सिंह को दिनांक 27.12.1985 ईस्वी को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात श्री जालिम सिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.11.1996 ईस्वी को जयपुर मे हो गया था। एवं उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी उनके जीवनकाल मे ही हो गया था। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके दो पुत्र श्री नन्दकिशोर एवं श्री घनश्याम सिंह इनके अलावा स्व. श्री जालिम सिंह के अन्य कोई वारिसान व उत्तराधिकारी नही है। तत्पश्चात श्री नन्दकिशोर एवं श्री घनश्याम सिंह ने दिनांक 01.07.2002 ईस्वी को जरिये इकरारनामे द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह को विक्रय कर दिया गया एवं मेरे अभिभाष्य श्री राजेन्द्र सिंह, श्रीमती सुशीला कंवर एवं श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा अग्रिम हाउसिंग फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड से गृह ऋण ले रहे है तथा उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट
दिनांक-26.04.2024 मो.-9214318413

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शाहपुरा जयपुर (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 3/2024
राजू वनाम सर्व साधारण
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम राजू दत्तक पुत्र रामेश्वर जाति यादव निवास स्थान विशनगढ तह. शाहपुरा जयपुर (राज.)
मृतक रामेश्वर पुत्र गंगू उर्फ गंगल्या की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 23.05.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामेश्वर पुत्र गंगू उर्फ गगल्या जाति यादव निवासी विशनगढ तह. शाहपुरा जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय मे दिनांक 23 माह 05 सन् 2024 को उपस्थित न्यायालय होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 15 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या प्रथम शाहपुरा (जयपुर जिला)

खोया पाया

मेरा मकान संख्या 30/34/09 मानसरोवर जयपुर का मूल मुख्त्यारनामा (Power of Attorney) कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। शिवराज-9997877570

मेरा Flat No.- LB-711 प्रताप अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल भौतिक कब्जा पत्र कहीं गिर गया है मिलने पर सम्पर्क करें-दामोदर प्रसाद-9314070800

मेरे प्लॉट नं. 97 (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर) वर्षा विहार, लालचन्दपुरा निवारू रोड जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, रसीद व साइड प्लान निवारू पंचायत समिति जयपुर के आस पास कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-देवन्ती देवी-8949703332

मेरे प्रताप नगर, सांगानेर हाउसिंग बोर्ड प्लॉट संख्या 52/38 माप 163.537 वर्ग मीटर जयपुर का मूल अदय प्रमाण पत्र संख्या 1108 दिनांकित 14.10.2003 की मूल प्रति कहीं गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। कल्पना चौहान पत्नी श्री निलेश नाथावत 52/38 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर